

Oy. 235/bs/nm/11
9/7/2013



97

No.11035/12/2013 -NI-III
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
(HR Division)

NDCC-II Tower, 'A'-Wing,
4th Floor, New Delhi -110001.
Dated the 4th July, 2013

To,


The Secretary,
National Foundation for Communal Harmony,
9th Floor, Lok Nayak Bhawan,
New Delhi -110003.

Subject: Transfer of the RTI application.

Please refer to the RTI Cell's OM No. A-43020/01/2013-RTI dated 31.5.2013 forwarding the RTI application dated 06.5.2013 of Smt. Shashi Prabha Agarawal seeking information regarding National Communal Harmony Award 2011, received in this Division on 20.6.2013 (copy enclosed)

2. Since the information requested by the applicant under point 1 to 3 is concern of the National Foundation for Communal Harmony (NFCH), the application is transferred to the NFCH under section 6(i) of the RTI Act, 2005 for necessary action.
3. So far as point 4 is concern a copy of RTI application dated 06.5.2013 is being circulated to all the CPIOs of this Ministry with the request to provide requisite information directly to the applicant on Point 4.

Encl: As above.


(Dr. R.K. Mitra)
Joint Secretary (NI) & CPIO
Tel: 23438111

Copy to:

(By Speed Post)

1. Smt. Shashi Prabha Agrawal, R-10, HIG. Sector-23, Sanjoy Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh with request to approach various other Minister/Department about the awards if any instituted by them on Point 4 which are under preview of other CPIOs of the various Ministries / Departments. As per information available with the undersign CPIO, the Govt. Of India instituted a National Award designated as "Kabir Puraskar", to promote communal, caste and ethnic harmony. These awards are announced on 2nd October every year. The details of the same are available in the web link <http://mha.nic.in>.
2. CPIOs of MHA (as per list attached) for taking appropriate action in respect of Point 4 of the RTI application dated 06.5.2013 and providing the requisite information directly to the applicant.
3. Shri S. Samanta, US (RTI) /CPIO, MHA, New Delhi w.r.t. OM No. A-43020/01/2013-RTI dated. 31.5.2013.

2013/01/2013
10/7

9.7
ws(NM/4)
9/7

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

ग्रह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक : 31/05, 2013

RTI-155/ISSW/13

20/6/13

कार्यालय जापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री...शाही प्रभा अग्रवाल का आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री...शाही प्रभा अग्रवाल के दिनांक 21/5/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में से अंतरण द्वारा दिनांक 27/05/2013 को प्राप्त) को रुन आई प्रभाव का अचेष्टित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाव के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किस अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अचेष्टित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 29.05.2013 की रसीद सं. 24754 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न) नहीं किया है क्योंकि वह वो भी एक श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

संलग्नक : यथोपरि

शु. सामंत
(शु. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में
निदेशक (रुन. आई)
ग्रह मंत्रालय
रुन डी सी सी - II भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :
श्री/श्रीमती/सुश्री...शाही प्रभा अग्रवाल
रुफ-10, रुच्य आई.पी.
सेक्टर-23, सवयनगर

गाजियाबाद (C 30 प्रप)
(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

R 11

10/11-3

2016

Sumed
20/06/13
RTI-155/ISSW/13

Sh. Das

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6
(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i))

रसीद / RECEIPT

2

११

सं. /No. 24754

दिनांक 20
Dated 25/11/2013

श्री/श्रीमती/सुश्री

Received From Shri/Smt./Km.

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ 2121 प्रभा डायरी के दिनांक 20

with Letter No./Reference No. Dated 20

बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या

Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No. 14 F 452019

के रूप में रुपये की नकद धनराशि

the sum of Rupees by Cash

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।

on account of fee under Right to Information Act 2005.

अक्षर /Initials

रुपये /Rs.

पदनाम / Designation

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 10/05/2013

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी

अज्ञात

शशि प्रभा
का आवेदन

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपने दिनांक 6/5/2013 के आवेदन का अवलोकन करें जो इस मंत्रालय में दिनांक 07/05/2013 को द्वारा अंतरण से प्राप्त हुआ था। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियंत्रण) नियमावली के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अनुरोध 10/- रु. के आवेदन शुल्क के साथ होना चाहिए, जो कि उपयुक्त रसीद प्राप्त कर नकद अथवा उस लोक प्राधिकारी, जिससे सूचना मांगी जा रही है, के "लेखा अधिकारी" को देय उपयुक्त डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के माध्यम से दिया जा सकता है।

RTI

2. आपके ऊपर-उल्लिखित सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन में निम्नलिखित कमियां पाई गई थी:

3533/R/012
29/5

i) 10/- रु. का शुल्क प्रेषित नहीं किया गया है जो कि गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी के लिए आवश्यक है।

ii) शुल्क को कोर्ट फी स्टैम्प/गैर-न्यायिक पेपर/अकाउंट पेई चैक/ डाक टिकट/ के माध्यम से भुगतान किया गया है, जो कि अधिनियम के अंतर्गत भुगतान का वैध माध्यम नहीं है।


DIRECTOR

iii) -----/रु. का डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर प्रस्तुत किया गया है, जो कि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शुल्क नहीं है।

iv) प्रस्तुत किया गया डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर उचित प्राधिकारी के पक्ष में देय नहीं है। यह "लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय" के पक्ष में देय होना चाहिए।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आपके सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन को 10/रु. के आई पी ओ/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक/गैर-न्यायिक पेपर/कोर्ट फी स्टैम्प/ के साथ मूल रूप में वापिस किया जाता है। (सं. 14F 452067) के एवं सं. 02F 181131

संलग्नक: उपर्युक्त के अनुसार



श्रीनिवास प्रधान


उप सचिव (ई) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Returned back
w/o carry letter
for application in name
सेवा में 27/5/13

श्री/श्रीमती/सुश्री शशि प्रभा अज्ञात
एफ - 10, एच - आर.पी
सौ. 22 - 23
गौज 21/1/16

निस्ताद इपरान्त
प्रसन्न

श्रीमान सचिव
गृह मंत्रालय भारत सरकार
नई दिल्ली



विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत आवश्यक जानकारी।

महोदय,

पिछल वर्ष आपके कार्यालय पत्रांक सं० D.O. No 4/2(1)/2011-NFCH dt-12.5.2011 के द्वारा राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार 2011 देने हेतु नामांकन मांगे गये थे इस संदर्भ में मुझे आपसे निम्नलिखित जानकारियाँ चाहियें.....

1. वर्ष 2011 में उपरोक्त पुरस्कार किस महानुभव/संस्थाओं को दिये गये उनका विवरण।
2. क्या वर्ष 2012 में भी राष्ट्रीय सम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार दिये जाने की योजना है यदि हाँ तो इसके नामांकन हेतु कब जानकारी मांगी जायेगी।
3. क्या राष्ट्रीय सम्प्रदायिक सद्भावना पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा दिये जाते है।
4. सर्व समाज के लिये निस्वार्थ भावना से कार्य करने वाली संस्थाये/व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार द्वारा कौन-कौन से पुरस्कार वर्ष में घोषित किये जाते है विवरण सहित।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी सूचना अधिनियम के अर्न्तगत अविलम्ब देने की कृपा करें निर्धारित शुल्क पोस्टल आर्डर के रूप में संलग्न है।

संलग्न-10रु० का पोस्टल आर्डर

UPR - 18113

52067

भवदीय

श्रीमान

(शशि प्रभा अग्रवाल)

एफ-10 एच.आई.जी. सै०-23

संजयगनर गाजियाबाद

Fac. clause

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 15 जुलाई, 2013

सेवा में,

श्रीमती शशि प्रभा अग्रवाल,
आर-10, एच आई जी,
सेक्टर-23, संजय नगर,
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।


विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना का मांगा जाना ।

महोदया !

कृपया आपके सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन के बिंदु सं. 4 में चाही गई सूचना आपको भेज देने के अनुरोध से युक्त संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय एकीकरण-एनआई), मानव अधिकार प्रभाग, गृह-मंत्रालय के दिनांक 04.07.2013 के पत्र सं. 121035/12/2013-एन आई-III के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 09.07.2013 को मिला अपना दिनांक 06.05.2013 का सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदन देखें ।

2. मुझे आपको यह सूचित करना है कि उपर्युक्त मामले में आपको भेजने के लिए मेरे पास कोई भी सूचना नहीं है और इस लिए कृपया अपेक्षित सूचना शून्य समझें ।

3. इस उत्तर के संदर्भ में यदि कोई अपील की जानी हो तो वह श्री एम.गणपति, संयुक्त सचिव (नक्सल-प्रबंधन), नक्सल-प्रबंधन-प्रभाग, गृह-मंत्रालय, कमरा नं.193ए/1, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से की जा सकती है ।



भवदीय,

(के.एस. कुशल कुमार)

भारत-सरकार के उपसचिव और केन्द्रीय लोक-सूचना-अधिकारी

दूरभाष: 2309 2506

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय एकीकरण-एन आई), मानव अधिकार प्रभाग, गृह-मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

2. श्री एस. सामंता, अवर सचिव, सूचना का अधिकार, गृह-मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

Please issue R&D

16/7